न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/220

1. मनभर पत्नी सुवालाल जाति मीणा निवासी किशनगंज तहसील हिण्डोली ।
2. सुवालाल आत्मज बरधी लाल जाति मीणा निवासी किशनगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरमा बाई पत्नी हुकमसिंह उर्फ हुकम चन्द जाति मीणा निवासी सुकनली पगारा ।
2. राजू पुत्र हुकमसिंह उर्फ हुकमचन्द जाति मीणा निवासी सुकनली पगारा ।
3. लक्ष्मीबाई ।
4. पूजा
5. आरती
6. ज्योति
7. बच्छी बाई पुत्रियॉ हुकम सिंह उर्फ हुकमचन्द जाति मीणा निवासी सुकनली पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. सकराम आत्मज बरधा जाति मीणा निवासी किशनगंज तहसील हिण्डोली ।
9. धर्मराज आत्मज सकराम जाति मीणा निवासी किशनगंज तहसील हिण्डोली ।
10. कमला पत्नी सकराम जाति मीणा निवासी किशनगंज तहसील हिण्डोली ।
11. काली पत्नी धर्मराज जाति मीणा निवासी किशनगंज तहसील हिण्डोली ।
12. धर्मा बाई पत्नी खेमराज जाति मीणा निवासी किशनगंज तहसील हिण्डोली ।
13. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली कोटा बून्दी कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम किशनगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 88 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 89 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 93 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 94 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 01 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि कुल रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा पर जबरन कब्जा नहीं करने वादी के कब्जे में दखल अन्दाज नहीं करने व काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा वादी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 92, 93 व 95 के सहारे वादीगण के खाते की भूमि पर खसरा नम्बर 213/549 व 214/550 की हुई तरमीम के स्थान पर से वादीगण को बेदखल नहीं करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करने, जबरन फसल नहीं बोने तथा उक्त भूमि को बेचान नहीं करेन व उक्त स्थान पर किसी व्यक्ति को कब्जा नहीं देने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में, उसे सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने एवं लोक अदालत की भावना के विरूद्ध होने से उक्त निर्णय एंव डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.05.2015 निरस्त फरमाया जावे।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल

ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण को निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.05.2015 निरस्त रखा जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का सुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

9. निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा